



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230816
CG-DL-E-29102021-230816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4162]
No. 4162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4523(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 'चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति' (फ़ैन AAATC6094L), जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 की अधिनियम संख्या 6) की धारा 4, खण्ड (4) तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 की अधिनियम संख्या 14) की धारा 6 के अधीन गठित एक निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, नामतः

- (क) सीपीसीबी नई दिल्ली से प्राप्त सहायता अनुदान;
- (ख) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रबंधन से प्राप्त सहायता अनुदान;
- (ग) स्वीकृति शुल्क;
- (घ) पर्यावरण मुआवजा एवं दण्ड;
- (ङ) जैविक चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकार शुल्क;
- (च) बैंक गारन्टी दण्ड;
- (छ) एनएएमपी परियोजना खर्चों (सीपीसीबी) की प्रतिपूर्ति;

- (ज) स्टैक विक्षेपण, जल एवं वायु परीक्षण शुल्क;
 (झ) जल उपकर प्रामियाँ;
 (ञ) उपरोक्त (क) से (झ) में अर्जित ब्याज आय;
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि ‘‘चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति’’ -
 (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 (ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति और कार्यकलाप, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगे; और
 (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।
3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2020-21 में, 01-06-2020 से 31-03-2021 की अवधि के लिए लागू की गई समझी जाएगी एवं वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 125 /2021/फा. सं. 300196/35/2018-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4523(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘Chandigarh Pollution Control Committee’ (PAN AAATC6094L), a body constituted under Section 4, clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No.6 of 1974) and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No.14 of 1981), in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

- (a) Grant-in-aid from CPCB New Delhi;
- (b) Grant-in-aid received from the Union Territory of Chandigarh Administration;
- (c) Consent fees;
- (d) Environment Compensation and penalties;
- (e) Bio medical waste authorization fees;
- (f) Bank guarantee forfeiture;
- (g) Reimbursement of NAMP Project Expenses (CPCB);
- (h) Stack, Analysis, Water & air testing fees;
- (i) Water cess receipts;
- (j) Interest income earned on (a) to (i) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Chandigarh Pollution Control Committee,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the period from 01-06-2020 to 31-03-2021 in the financial year 2020-2021 and shall apply for the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 125 /2021/F. No. 300196/35/2018-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.